

परिवादी द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता।
प्रकरण आज जांच रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है।
जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं।

इसी प्रास्थिति परिवादी अधिवक्ता श्री सुनील कांकर ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर बल ना देना व्यक्त किया एवं परिवाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया। फलतः बल देने के अभाव में परिवादी को आवेदन निरस्त किया गया।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयाविध में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।